_राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निर्देश सं. 66 का परिशिष्ट

एन सी आर के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी)

1. एन.सी.आर. दिल्ली में ख़राब वायु गुणवत्ता को ग्रेप (GRAP) में चार भिन्न-भिन्न श्रेणियों में वर्ग्रीकृत किया गया है अर्थात चरण -1, 'ख़राब' (एक्यूआई 201-300), चरण-II 'बहुत ख़राब (एक्यूआई 301-400), चरण III 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450) और चरण –IV 'गंभीर' + (एक्यूआई > 450) क्रमशः|

2. ग्रेप (GRAP) की चरण II, III और IV के तहत कार्रवाई एक्यूआई के अनुमानित स्तर पर पहुँचने पर कम से कम तीन दिन पूर्व की जायेगी जो कि रोजाना के आधार पर आयोग को आई एम डी/आईआईटीएम द्वारा दिये गये डायनामिक माडेल और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर होगी|

3. वायु प्रदूषण चरण जिस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया, वही पिछली चरणों पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी | उदहारण के लिए चरण III श्रेणी पर जब भी प्रतिबन्ध लगाए गये थे वह क्रमश: चरण I एवं II पर लगाए गये प्रतिबन्ध के अलावा होंगे|

4. आयोग द्वारा जीआरएपी पर गठित उपसमिति अग्रिम कार्रवाई की योजना बनाने और जीआरएपी के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश देने हेतु प्राय: बैठकें आयोजित करेगी जो कि प्रचलित वायु गुणवत्ता और एक्यूआई पूर्वानुमान पर आधारित होगी जिसे आईएमडी समय समय पर जारी करेगा | ग्रेप को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा उपसमिति द्वारा की जायेगी|

5. एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव प्राय ग्रेप के कार्यों एवं कार्यान्वयन भी समीक्षा करेंगे, विशेषत: तब, जब वायु गुणवत्ता गिरती है या 'गंभीर' या गंभीर' + श्रेणी(चरण III एवं उसके परे) पहुँचती है|

6. आयोग, प्रचलित एक्यूआई और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ग्रेप के कार्यक्रम में अतिरिक्त उपाय और अपवाद के लिए विभिन्न वायु प्रदूषण श्रेणियों में यानी (चरण I से IV तक) निर्णय ले सकता है |

एन सी आर के लिए ग्रेप_ (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान)

चरण-I 'ख़राब' वायु गुणवत्ता स्तर (दिल्ली ए क्यूआई 201-300)

कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसियाँ
1. धूल कम करने के उपायों और सी एंड डी वेस्ट का उचित पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। 2. ऐसी परियोजनायें जिनका प्लाट 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, जिन्हें सम्बंधित राज्य/जीएनसीटीडी के वेब पोर्टल पर आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देश सं 11-18 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार अभी तक पंजीकृत नही कराया गया है, वहाँ सी एंड डी गतिविधियाँ रोक दी जाए ।	-अध्यक्ष – सीपीसीबी डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) -दिल्ली – एनसीआर के कस्बों में आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता -निर्माण एजेंसियाँ/एवं प्लाट मालिक (दोनों सार्वजानिक / निजी)
3. ठोस कचरा (एमएसडब्लू), सी एंड डी वेस्ट और खतरनाक वेस्ट डंप साईट से नियमित रूप से उठाना और सुनिश्चित करना कि खुली ज़मीन पर अवैध तरीके से कचरा न फेंका जाए।	-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता। -सभी भूमि – स्वामित्व वाली एजेंसियाँ -निर्माण एजेंसियाँ(दोनों- सार्वजनिक/ निजी)
4. समय-समय पर सड़कों में मशीन द्वारा सफाई और पानी का छिडकाव सुनिश्चित करें । नामित साईट/लैंडफिल में ही एकत्रित धूल का निपटान किया जाए ।	-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता। -सभी सड़क मालिक और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
5. परिसरों में सी एंड डी सामग्री और वेस्ट ठीक से ढककर रखना सुनिश्चित करें	-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।

|सी एंड डी कचरे को रीसाइकल किया जाना सुनिश्चित करना ।	-सभी निर्माण एजेंसियाँ और प्लाट मालिक (सार्वजनिक एवं निजी)|
6. निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोग गन के उपयोग के लिए दिशा निर्देशों का अनुपालन ।	-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता| -सभी निर्माण एजेंसियाँ और प्लाट मालिक (दोनों सार्वजनिक एवं निजी)|
7. बायोमास एवं सॉलिड वेस्ट को खुले में जलाने पर सख्त पावंदी लागू की जाये| उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाए| 8. यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चौकसी बरती जाए कि लैंडफिल साईट/ डंप साईट पर आग लगने की घटना न हो|	-अध्यक्ष सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी(एनसीआर) -दिल्ली – एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/ मुख्य अभियंता| -सभी भू-स्वामित्व एजेंसियाँ
9. सभी चिन्हित कॉरिडोर और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के प्रयत्न किए जाए ।	-दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों में आयुक्त या यातायात पुलिस प्रमुख
10.वाहन पी यू सी (पौल्यूसन अंडर कण्ट्रोल) मानदंडों पर कड़ी सतर्कता और प्रवर्तन| 11.वाहनों से प्रत्यक्ष एवं भारी उत्सर्जन के लिए कोई सहिष्णुता नहीं – प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोका जाये । उन्हें ज़ब्त किया जाए तथा अधिकतम दण्ड लगाया जाए|	-दिल्ली और एनसीआर राज्यों के आयुक्त या यातायात विभाग के प्रमुख । -दिल्ली और एनसीआर कस्बों के आयुक्त या यातायात पुलिस के प्रमुख|
12.गैर नियत ट्रक यातायात के डायवर्जन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू करें ।	-एन सी टी दिल्ली और एन सी आर कस्बों मे यातायात पुलिस प्रमुख| -एनसीटी दिल्ली / एन सीआर कस्बों के जिला मेजिस्ट्रेट/उप आयुक्त

	-एनसीटी दिल्ली और एनसीआर कस्बों के नगर पालिका निगमों के आयुक्त।
13. प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन न करने वाली और अवैध औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कठोर दण्ड/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। 14. सुनिश्चित करें कि उद्योगों द्वारा केवल अनुमोदित इंधन का उपयोग किया जाये तथा उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये । 15. ईट भट्टों और उद्योगों में सभी प्रदूषण नियंत्रण विनियमों को कड़ाई के साथ लागू किया जाए।	- अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) - एनसीटी – दिल्ली/एनसीआर कस्बों के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, - दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त
16. ताप विद्यत संयंत्रों में उत्सर्जन मानदंडों को सख्ती से लागू करें और गैर अनुपालन के लिए सख्त कार्रवाई करें।	-दिल्ली के 300 कि.मी. के दायरे में स्थित विद्युत् संयंत्रों के संयंत्र प्रभारी -अध्यक्ष–सीपीसीबी/डीपीसीसी/एसपीसीबी (एनसीआर)
17. पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने के माननीय न्यायालयों /अधिकरण के आदेशों को सख्ती से लागू करें ।	-दिल्ली पुलिस के आयुक्त एन सी आर कस्बों के आईजी/डीआईजी/एसपी या लाइसेंस जारी करने वाले प्रभारी अधिकारी। -एनसीआर में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त -विस्फोटकों , पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य नियंत्रक।
18. औद्योगिक और अविकसित क्षेत्रों से औद्योगिक अपशिष्ट नियमित रूप से	- अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) ।

उठाना और उसका उचित निपटान सुनिश्चित किया जाये |	- दिल्ली – एनसीआर के कस्बों में आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता | - सभी भूमि – स्वामित्व वाली एजेंसियाँ - एनसीआर में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त
19.एनसीआर में सभी डिस्कोम बिजली की अधिकतम आपूर्ती सुनिश्चित करें|	-एनसीआर में बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुख|
20.सुनिश्चित करें कि डीजल जनरेटर सेट बिजली के नियमित स्रोत के तौर पर प्रयोग न किए जाए|	-अध्यक्ष सीपीसीबी डीपीसीसी एसपीसीबी, (एनसीआर) -एनसीआर में सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी /उपायुक्त|
21.सोशल मीडिया सहित मोबाइल एप्स के माध्यम से लोगों को सूचना प्रसारित की जानी चाहिए जिससे वे प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों/श्रोतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकें और प्रदूषण के स्तर के अनुसार सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी|	- जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग| - अध्यक्ष , सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)
22. 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त शिकायतों का निदान सुनिश्चित करना जिससे प्रदूषण गतिविधियों में कमी आए|	- एनसीआर कस्बों में स्थानीय शहरी निकायों के प्रमुख | - अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एस पी सीबी(एनसीआर) - निर्माण एजेंसियाँ, भूमि –मालिक एजेंसियाँ , विकास एजेंसियाँ और ऐसी सभी सम्बंधित कार्यान्वयन एजेंसियाँ|
23.यातायात कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत आवागमन करने के लिए प्रोत्साहित करना |	- एन सी आर एवं जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें|
नागरिक चार्टर	• आपने वाहनों जैसे कार/बाईक/स्कूटरों आदि के इंजन को ट्यूनिंग करके रखें | • अपने वाहनों के टायरों में हवा का उचित दवाब बनाए रखें | • अपने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट को अपडेट रखें|

	• अपने वाहन का इंजन बंद करके रखे, जब वाहन ट्राफिक सिगनल पर खड़ा हो। • कूड़ा-करकट /कचरा खुले में न फेंके। • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषण गतिविधियों की रिपोर्ट करें।

<u>चरण-II – बहुत ख़राब वायु गुणवत्ता स्तर</u>

(**दिल्ली एक्यूआई 301-400)**

क्रम सं	कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियाँ
1. 2.	सड़कों पर व्यापक मशीनीकृत सफाई रोजाना की जाए । सड़कों पर धूल कम की जाये। पानी और धूल कम करने वाले रसायनों का छिडकाव (कम से कम हर दूसरे दिन), हॉट स्पॉट, भारी ट्रैफिक रास्तों, संवेदनशील क्षेत्रों में (पीक आवर्स से पहले) सुनिश्चित करें और एकत्रित धूल का उचित निपटान निर्दिष्ट स्थल/लैंडफिल में करें।	-दिल्ली –एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता । -सभी सड़क मालिकों और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी । -दिल्ली व एन सी आर कस्बों के यातायात पुलिस के आयुक्त ऐसी सड़कों की पहचान करे जहाँ भारी यातायात रहता है और सम्बंधित नगर पालिका आयुक्तों को जानकारी दें।
3.	सी एन्ड डी साईट पर नियमित निरीक्षण एवं धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से प्रवर्तन।	-अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) -दिल्ली एवं एन सी आर , कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियन्ता।

4. 5.	होटल, रेस्टोरेंट और खुले में भोजनालयों में तंदूर आदि में कोयला/जलाऊ लकड़ी पर प्रतिबन्ध | होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय सुनिश्चित करें कि केवल बिजली/स्वच्छ गैस आधारित उपकरणों को प्रयोग किया जाए|	-दिल्ली – एन सीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त / मुख्य अभियंता| -अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)
6.	जनरेटर सेट के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें |	-राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव| -दिल्ली और एनसीआर जिलों के बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुख.
7.	निम्नलिखित आपातकालीन और आवश्यक सेवायें छोडकर, डीजल जनरेटर का प्रयोग बंद सुनिश्चित करें- 1. चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) जिसमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण दवाएं शामिल हैं| (ii) विभिन्न प्रतिष्ठानों में लिफ्ट /एस्कलेटर / ट्रैवलेटर आदि (iii) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन| (iv) स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवायें| (v) हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (vi) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट| (vii) जल पम्पिंग स्टेशन| (viii) राष्ट्रीय सुरक्षा / रक्षा संबंधी गतिविधियां| (ix) राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं| (x) दूरसंचार / डाटा सेवाएं|	- अध्यक्ष –सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) - दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता | - एन सी आर राज्यों और जीएनसीटीडी के जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त|

	टिप्पणी- **(i)** **औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में परिचालन एवं तकनीकी अत्यावश्यकताओं और अनिमियत बिजली आपूर्ति के कारण, आयोग द्वारा दिनांक 08.02.2022 को जारी किये गये निर्देश सं. 54 से 57 के अनुसार डी जी सेटों का प्रयोग विनियमित किया जाएगा I** (ii) **सीएनजी/पीएनजी/एलपीजी आधारित जनरेटर सेटों के सञ्चालन पर एन सी आर में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा** I	
8.	यातायात संचालन के समय (कई कामों के लिए) चौराहों/यातायात बिन्दुओं पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करें जिससे यातायात को सुचारू प्रवाह के साथ चलाया जा सके|	-दिल्ली और एन सी आर कस्बों की पुलिस आयुक्त या प्रभारी अधिकारी यातायात|
9.	वायु प्रदूषण बढाने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए "क्या करें क्या न करें" इत्यादि हेतु समाचार पत्र/टीवी/रेडियो पर अलर्ट जारी करें|	-अध्यक्ष –सीपीसीबी, डीपीसीबी एसपीसीबी (एनसीआर)
10.	निजी परिवहन को हतोत्साहित करने हेतु पार्किंग शुल्क बढायें|	-एनसीआर राज्यों एवं जीएनसीटीडी के शहरी स्थानीय निकायों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव -दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त|

11.	सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढाया जाए।	-एनसीआर राज्य सरकारें -एनसीटी, दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों के यातायात विभाग के प्रधान सचिव -दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) -एनसीआर कस्बों के राज्य परिवहन निगम -दिल्ली एकीकृत बहु-मोडेल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) -दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)
12.	आवास कल्याण संघ को सर्दियों के दौरान सुरक्षा कर्मियों को बिजली के हीटर उपलब्ध करना चाहिए जिससे खुले में बायोमॉस और सॉलिड वेस्ट जलाने से बचा जा सके।	-आवास कल्याण संघ
नागरिक चार्टर	• लोग सार्वजानिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। • अपने ऑटोमोबाइल में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फ़िल्टर बदलें। • अक्टूबर से जनवरी के महीनों में धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्य न करें ।	

चरण – III – गंभीर वायु गुणवत्ता स्तर

(दिल्ली एक्यू आई 401 से 450 तक)

क्रम सं०	कार्रवाई	जिम्मेदार एजेंसियाँ/कार्यान्वयन एजेंसियाँ
1.	सड़कों की मशीनीकृत /वैक्यूम आधारित सफाई की आवृती को और तेज करें।	- दिल्ली-एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।
2.	धूल कम करने के लिए हर संभव प्रयास के साथ रोजाना सड़कों पर हॉट स्पोटों पर पानी का छिडकाव सुनिश्चित करें। निर्धारित स्थानों/लैंडफिल पर ही एकत्रित धूल का निस्तारण करें।	- सभी सड़क मालिकों और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। - दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस के प्रमुख भारी यातायात वाली सड़कों की पहचान करके सम्बंधित महानगर पालिका , आयुक्त /नगर पालिका निकायों के प्रमुख को जानकारी प्रदान करें।
3.	पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को और तेज करना | off peak यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न दरें लागू करें।	- एनसीटी दिल्ली के यातायात विभाग के सचिव एवं आयुक्त | - एनसीआर राज्यों के यातायात आयुक्त | - प्रबंध निदेशक , दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) - अध्यक्ष, राज्य परिवहन निगम

4.	**निर्माण एवं विध्वंश (सी एंड डी) गतिविधियाँ** : (i) निम्नलिखित परियोजनाओं और गतिविधियों को छोड़कर, पूरे एनसीआर में सी एंड डी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबन्ध लागू करें। (क) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन (ख) मेट्रो रेल सेवाएं एवं स्टेशन (ग) हवाई अड्डे और अंतर्राज्य बस टर्मिनल (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियां / परियोजनाएं (ङ) अस्पताल /स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (च) लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, विद्युत् ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि। (छ) स्वछता संबंधी प्रोजेक्ट जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी सप्लाई प्रोजेक्ट आदि; (ज) सहायक गतिविधियाँ जो कि उपरोक्त श्रेणियों के पूरक परियोजनाओं से सम्बंधित है ।	- एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी - अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)। - दिल्ली और एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता।

	टिप्पणी – उपरोक्त छूट सी एन्ड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों , धूल की रोकथाम / नियंत्रण के निदेशों के सख्त अनुपालन के अधीन आयोग द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ ही दी जायगी । (ii) उपरोक्त (i) के तहत छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा धूल पैदा करने /वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली सी एन्ड डी गतिविधियों को कड़ाई से इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित किया जाएगा जो नीचे दी गई है: – • बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य सहित मिट्टी खुदाई और भराई का काम । • सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य जिसमें फेब्रिकेशन और वेल्डिंग ऑपरेशन होते है । • डेमोलिशन कार्य। • परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग • निर्माण सामग्री ,फ्लाई ऐश इत्यादि का कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हस्तांतरण । • कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही । • बैचिंग प्लांट का संचालन।	

	• सीवर लाइन बिछाने, पानी की लाइन , ड्रेनेज का काम और ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रिक केबलिंग| • टाईलों, पत्थर और अन्य सामग्री का कटान | • ग्राइंडिंग गतिविधियाँ| • पाईलिंग कार्य • वाटर प्रूफिंग कार्य | • सड़क,फूटपाथ/रास्ते इत्यादि के निर्माण / मरम्मत कार्य (iii) एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए, गैर –प्रदूषणकारी /गैर-धूल पैदा करने वाली गतिविधियाँ जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सज्जा, विद्‌युत के कार्य और बढ़ईगीरी संबंधी कार्य जारी रखे जा सकेगें |	

5.	औद्योगिक सञ्चालन (क)ऐसे औधोगिक क्षेत्र जहाँ पी एन जी उपलब्ध है | जो उद्योग/सञ्चालन एन सी आर के लिए अनुमोदित इंधन सूची(approved fuel list) के अनुसार नही चल रहे हैं , उन्हें सख्ती के साथ बंद/प्रतिबंधित किया जाए| (ख)ऐसे औधोगिक क्षेत्र जहाँ पी एन जी की उपलब्धता नहीं है और उन क्षेत्रों में वह इकाईयां जो अब तक अनुमोदित ईधन नहीं प्रयोग कर रही है, वे एक सप्ताह में अधिकतम, 05 दिन (31.12.2022 तक) निम्नवत संचालन करेंगे : - (i) कागज़ और लुगदी प्रसंस्करण, भट्टियां और कैप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट शनिवार और रविवार को नहीं चलेंगे | (ii) धान/चावल प्रसंस्करण इकाईयाँ सोमवार व मंगलवार को नहीं चलेंगी | (iii) कपड़ा/वस्त्र और परिधान रंगाई प्रक्रिया सहित –	-अध्यक्ष – सीपीसीबी डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) -पुलिस आयुक्त – दिल्ली और एनसीआर राज्यों के पुलिस महानिदेशक | -दिल्ली एवं एन सी आर में सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी/ उपायुक्त|

	बुधवार और गुरुवार को नहीं चलेंगे। (iv) उपरोक्त श्रेणियों में जो उद्योग नहीं आते हैं – वे शुक्रवार और शनिवार को बन्द रहेंगे। (ग) पूरे एन सीआर में ऐसे उद्योग/सञ्चालन जो मानक अनुमोदित इंधन सूची के अनुसार नहीं चल रहे है, उन्हें 01-01-2023 से सख्ती के साथ बन्द/प्रतिबंधित किया जाए। टिप्पणी –दूध और डेयरी इकाईयाँ और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों का निर्माण/उपकरण, दवाएं बनाने वाली ईकाईयां, उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।	
6. 7.	उन ईट भट्टों , हॉट मिक्स प्लांटों को बंद कर दें जो कि एन सी आर में अनुमोदित मानक इंधन सूची के अनुसार नहीं चल रहे हैं। स्टोन क्रेशर का संचालन बंद करें	- अध्यक्ष –सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) - दिल्ली पुलिस आयुक्त और एन सी आर राज्यों के पुलिस महानिदेशक - दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों के सम्बंधित जिला अधिकारी / उपायुक्त।
8.	एन सीआर में खनन और उससे जुडी गतिविधियों को प्रतिबंधित /बंद करें।	- अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी,एसपीसीबी,(एनसीआर)

		- एन सीआर में सम्बंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त - दिल्ली पुलिस आयुक्त और एन सी आर कस्बों के आई जी/डीआईजी/एसपी.
9.	एनसीआर की राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी बीएस ।।। पेट्रोल और बी एस ।V डीजल एल एम वी(4 पहिया वाहनों) पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं|	- एन सी आर में राज्य सरकारें और जी एन सी टी डी | - आयुक्त या परिवहन विभाग का प्रमुख - दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में पुलिस आयुक्त / यातायात पुलिस प्रमुख|
नागरिक चार्टर	स्वच्छ आवागमन चुने – काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या पैदल या साइकिल का प्रयोग करे| - जिन लोगों की स्थिति घर से काम करने के लिए सुविधाजनक है, वे घर से कार्य कर सकते हैं | - गर्म करने के उद्देश्य से, कोयला और लकड़ी का प्रयोग न करें| - व्यक्तिगत घर के मालिक सुरक्षा कर्मचारियों को सर्दी के समय खुले में आग लगाने के बजाय बिजली के हीटर प्रदान कर सकते हैं | - कार्यों को एक साथ करें और यात्राओं को कम करें| जहां भी संभव हो, पैदल चलें |	

<u>चरण –IV – गंभीर + वायु गुणवत्ता स्तर</u>

(दिल्ली – एक्यूआई >450)

कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियां
1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें। (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)।	- राज्य सरकारें - परिवहन आयुक्त, जीएनसीटीडी /एनसीआर राज्य आयुक्त /शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख - दिल्ली एनसीआर के कस्बों के पुलिस आयुक्त - दिल्ली और एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त/ यातायात पुलिस प्रमुख
2. दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एम जी वी) और भारी माल वाहन (एच जी वी) के चलने पर प्रतिबन्ध लगायें। केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों अथवा आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले वाहनो को चलने दें।	- एनसीआर/ और राज्य सरकारें एवं जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें। - जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त - दिल्ली और एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस प्रमुख।
3. बीएस-VI वाहनों और आवश्यक /आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के एनसीटी और दिल्ली की सीमा से लगे सभी एनसीआर के जिलों में चार-पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाये।	- एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें । - जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त । - दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस प्रमुख।

4. एनसीआर में ऐसे सभी उद्योगों को बंद करें , यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जिनके पास पीएनजी आपूर्ति नहीं है, जो एनसीआर के लिए स्वीकृत इंधन की मानक सूची के अलावा अन्य इंधन पर चल रहे हैं। **टिप्पणी: - उद्योग जैसे दूध और डेयरी इकाईयाँ और जीवन रक्षक दवाये/चिकित्सा उपकरण उत्पादन करनेवाली इकाईयाँ उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त होंगी।**	-अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) -दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनसीआर कस्बों के आईजी/डीआईजी/एसपी। -दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में सम्बंधित जिलों के पुलिस आयुक्त।
5. लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग, सडकें, फ्लाईओवर, ब्रिज बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि से सम्बंधित सी एंड डी गतिविधियाँ प्रतिबंधित करें।	-अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी(एनसीआर)। -दिल्ली एन सी आर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता
6. एनसीआर राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी सार्वजनिक , नगर पालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता और अन्य को घर से कार्य करने की अनुमति के सम्बन्ध में उचित निर्णय लें ।	एनसीआर एवं जी एन सी टी डी की राज्य सरकारें।
7. केन्द्रीय सरकार सरकारी कार्यालयों में घर से कार्य करने के लिए अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है।	केन्द्रीय सरकार (डीओपीटी)
8. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपात कालीन उपाय जैसे विद्यालय /कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान , गैर-आपातकालीन वाणिज्य गतिविधियों को बन्द करने और वाहनों को आड-ईवन आधार पर चलाने इत्यादि के लिए विचार कर सकती हैं ।	एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें।

नागरिक चार्टर	• बच्चे , बुजुर्ग और साँस , कार्डियोवैस्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचने के लिए जितना हो सके घर के अंदर रहें।